दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) उन सभी पात्र लाभार्थियों के संबंध में प्लॉटों की ड्रॉ प्रक्रिया आयोजित करने जा रहा है, जिनके नाम वैकल्पिक प्लॉट (250 वर्ग गज) के आवंटन हेतु भूमि एवं भवन विभाग द्वारा अनुशंसित एवं सत्यापित किए गए हैं।

सभी पात्र व्यक्तियों के संबंध में वरिष्ठता सूची तैयार कर ली गई है जो डी.डी.ए. की आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in पर उपलब्ध है। जिन सभी अनुशंसित व्यक्तियों को अभी तक प्लॉट का आवंटन नहीं हुआ है, वे उक्त वरिष्ठता सूची में अपने नाम की जांच कर सकते हैं। यदि किसी अनुशंसित व्यक्ति का नाम उक्त सूची में प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर अपना मूल अनुशंसा पत्र तथा वैकल्पिक प्लॉट की अनुशंसा से संबंधित अन्य सभी संबद्ध दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि वरिष्ठता सूची को तदनुसार अद्यतन किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, यह भी सूचित किया जाता है कि कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें पहले प्लॉट आवंटित किए जा चुके थे तथा संबंधित आवेदकों/अनुशंसित व्यक्तियों द्वारा उक्त आवंटनों के संबंध में न्यायालयों में वाद/मुकदमा किया गया है। ऐसे आवेदकों के नाम वर्तमान में वरिष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। तथापि, आवेदकों द्वारा ऐसे न्यायालयी वाद/मुकदमों की वापसी अथवा उनके निस्तारण तथा उसके संबंध में संबद्ध दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर, ऐसे मामलों को ड्रॉ प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

सभी अनुशंसित व्यक्तियों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि भविष्य में पत्राचार हेतु अपना वर्तमान आवासीय पता, ई—मेल आई.डी. तथा संपर्क विवरण उपलब्ध कराएं।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित ड्रॉ भूमि एवं भवन विभाग से प्राप्त अनुशंसा पत्रों तथा संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों के सत्यापन एवं प्रामाणिकता के अधीन आयोजित किया जाएगा। प्लॉट का कब्जा भूमि एवं भवन विभाग तथा अन्य संबंधित प्राधिकरणों से अनुशंसा की पुष्टि प्राप्त होने के उपरांत ही दिया जाएगा।

हमें फॉलो करें ddaofficial official_dda official_dda_

"कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.gov.in देखें या टोल फ्री नं. 1800110332 डायल करें"